न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – चिन्तामनी मिश्रा ....बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 08 / 2023

द्वितीय पक्ष -- काजल मिश्रा ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
03/11/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 02 / 2023 दिनांक 17 / 02 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) चिन्तामनी मिश्रा उम्र 40 वर्ष पति गंगाधन मिश्रा (2) गंगाधर मिश्रा उम्र 45 वर्ष पिता सचितानंद मिश्रा ग्राम बधिमा थाना पालकोट जिला गुमला **बनाम द्वतीय पक्ष** (1) काजल मिश्रा उम्र 30 वर्ष पति रोहित मिश्रा (2) रोहित मिश्रा उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 बिन्देश्वर मिश्रा दोनो ग्राम बधिमा मिश्रा बडकाटोली थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच आपस में सामानो की बंटवारा को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष न्यायलय में अनुपस्थित रहे है। उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 3/11/23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.09 14:06:47 +05:30
Location: 192.168.1.10